Private Senas in Bihar

3132. SHRI HIPHEI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received reports that some private senas are operating in Bihar;

(b) if so, whether Government have asked the State Government to submit a report in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) Government is aware of the existence of private senas in Bihar. However, since 'public order' and 'police' are State Subjects it is the primary responsibility of the State Government to keep a close watch on the activities of such senas and take appropriate steps as the situation warrants.

साम्प्रदायिक दंगे

3133. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1-1-1991 से 31-12-1991 तक कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ; और

(ख) इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) 1-1-91 और 31-12-91 के बीच 27 बड़े साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें 242 व्यक्ति मारे गए ।

राजस्थान में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन की गई गिरफ्तारियां

3134. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन राजस्थान सरकार ने 31 जनवरी, 1992 तक क्षेत्र-वार कितने लोगों को गिरफ्तार किया है ; और

(ख) 31 जनवरी, 1992 तक कितने लोगों को रिहा किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम के उपबंधों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के लिए लागू किया जाता है । इसलिए इस अधिनियम के अन्तर्गत धर्म-वार गिरफ्तार किए गए और रिहा किए गए व्यक्तियों की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है ।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसने कहा है कि कानून लागू करने की प्रक्रिया के दौरान साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया ।

Reservation for SC/ST in posts under N.D.M.C.

3135. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of 210 posts of A.E. (Civil) and 26 posts of E.E. (Civil) in New Delhi Municipal Committee only 11 posts of A.E. (Civil) belong to SC/ST;

(b) whether it is also a fact that the JEs. and AEs. belonging to SC/ST are available for promotion with more than 15 years' service;

(c) the number of backlog vacancies reserved for SC/ST in A.E. and E.E. cadres and the reasons for not filling up these vacancies from the available officials fulfilling minimum eligibility condition; and

(d) what steps are being taken by Government to fill up the reservation quota in posts mentioned above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) NDMC has reported that there are 100 posts of AE (Civil) and 26 posts of EE (Civil) in the Organisation. Of these, 11 AEs (Civil) belong to SC category.

(b) Yes, Sir.

(c) There is no backlog of reserved vacancies as reservations for SC/ST are not to be carried forward for Group 'A' and 'B' posts as per instructions.

(d) Instructions for giving reservation to SC/ST candidates are being followed.

3136. [*Transferred to the 26th March, 1992*].

हरिजनों का उत्पीड़न

3137. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच माह के दौरान दिल्ली में पुलिस ने हरिजनों को उत्पीड़ित किए जाने सम्बन्धी कितने मामले दर्ज किए हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति वर्ष 1991 के दौरान किए गए अपराधों की संख्या के उपलब्ध, राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए ब्यौरे संलग्न हैं । [देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 64] अपराधों को दर्ज करना, उनका पता लगाना, जांच करना, तथा उसको रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । वे मामलों को दर्ज करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं तथा न्यायालय में मामले दायर करते हैं ।

Election Duty in Punjab

3138. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the Central Government employees, Delhi Administration Teachers and employees of the State Government refused to go on election duty for recent Punjab elections;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what action Government have taken against such employees for their act of insubordination;

(d) whether Government had made adequate security arrangements for such employees;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) what action Government propose to take to stop such insubordination by Government employees in future throughout the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF